न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

मु.न.– .....289.../2024

दारासिंह पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी सोमसीसर तहसील तारानगर जिला चूरू।

– वादी –

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार साहवा तहसील जिला चूरू।

– प्रतिवादीगण –

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

निर्णय दिनांक ....31/01/25..

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा सोमसीसर तहसील तारानगर के खसरा सं. 254 तादादी 7.4226 हेक्ट., खसरा सं. 258 तादादी 4.6913 हैक्ट., खसरा सं. 430 तादादी 10.5586 हैक्ट. कुल तादादी 22.6725 हैक्ट. वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम दाराचन्द पुत्र बेगराज अंकित है। वादी का वास्तविक नाम दारासिंह पुत्र बेगराज है। वादी जमांबदी में अपना नाम दाराचन्द पुत्र बेगराज के स्थान पर दारासिंह पुत्र बेगराज करवाने का निवेदन किया है। वादी का कथन है कि आधार कार्ड, पैन–कार्ड, पहचान–पत्र तथा अन्य दस्तावेजों में नाम दारासिंह पुत्र बेगराज है। नाम में भिन्नता होने के कारण वादी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब वादी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए वाद पेश कर रहा है। अतः कृषि भूमि रोही मौजा सोमसीसर तहसील तारानगर के खसरा सं. 254 तादादी 7.4226 हैक्ट., खसरा सं. 258 तादादी 4.6913 हैक्ट., खसरा सं. 430 तादादी 10.5586 हैक्ट. कुल तादादी 22.6725 हैक्ट. वादी का नाम दारासिंह पुत्र बेगराज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने दाराचन्द पुत्र बेगराज व दारासिंह पुत्र बेगराज एक ही व्यक्ति का होना बताया गया। वादी का नाम दारासिंह पुत्र बेगराज सही होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण को कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पैन–कार्ड, पहचान–पत्र से वादी का नाम दारासिंह पुत्र बेगराज पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में दाराचन्द पुत्र बेगराज नाम अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा सोमसीसर तहसील तारानगर के खसरा सं. 254 तादादी 7.4226 हेक्ट., खसरा सं. 258 तादादी 4.6913 हैक्ट., खसरा सं. 430 तादादी 10.5586 हैक्ट. कुल तादादी 22.6725 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज **दाराचन्द पुत्र बेगराज** Delete कर इसके स्थान पर **दारासिंह पुत्र बेगराज** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक ....31/01/25..... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू